# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 120/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   1. मैसर्स अग्रवाल बर्तन भण्डार, शेखावटी नगर, रोड नं. 6, वीकेआई एरिया, जयपुर।
   2. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री गौरी शंकर अग्रवाल, एफ 105, शेखावटी नगर, रोड नं. 6, वीकेआई एरिया, जयपुर मालिक फर्म।
4. निर्णय दिनांक : 20.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री रोहिताश यादव अप्रार्थीगण की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.02.2020 को घरेलू सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स अग्रवाल बर्तन भण्डार पर पहुंचे। शिकायत के सत्यापन हेतु जितेन्द्र सैनी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। मौके पर जितेन्द्र सैनी को अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित मिले। जितेन्द्र सैनी के 4 किग्रा. छोटे गैस सिलेण्डर की मांग करने पर अप्रार्थी सं. 2 ने 90 रु. प्रति किग्रा. की दर से गैस भरना बताया तथा मौके पर ही छोटा गैस सिलेण्डर मय गैस उपलब्ध कराने को कहा गया। बोगस ग्राहक का ईशारा पाते ही प्रार्थी मय जांच दल मौके पर पंहुचे। अप्रार्थी सं. 2 ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर दुकान के बाहर बिना मानक के 3 छोटे गैस सिलेण्डर रखे हुये थे। दुकान के अन्दर घरेलू सिलेण्डर द्वारा छोटे गैस सिलेण्डर में गैस भरी जा रही थी। उसके पास ही एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, दो घरेलू गैस सिलेण्डर(1 एचपीसी+1 बीपीसी) तथा बिना एसआर मानक 8 छोटे गैस सिलेण्डर रखे हुये पाये गये। उक्त सामान के संबंध में अप्रार्थी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस प्रकार प्रार्थी ने 3 घरेलू गैस सिलेण्डर(2बीपीसी+1एचपीसी), नोन एसआर मानक विभिन्न ब्राण्ड के 11 छोटे सिलेण्डर, दो पीतल की नुकीली बांसुरीनुमा यंत्र, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा एवं एलपीजी 6.100 किग्रा. को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 11.03.2022 को अधिवक्ता श्री रोहिताश यादव ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18.02.2020 को जब्त घरेलू सिलेण्डर व अन्य सामान की सहायता से अप्रार्थीगण द्वारा गैस रीफिलिंग की जा रही थी। मौके पर दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरते हुये पाया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि इस दुकान पर गैस रिफिलिंग करने एवं खरीदने बेचने का अवैध कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व अन्य जब्त सामान से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान प्रार्थी ने 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (2बीपीसी+1एचपीसी), नोन एसआर मानक विभिन्न ब्राण्ड के 11 छोटे सिलेण्डर, दो पीतल की नुकीली बांसुरीनुमा यंत्र, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा एवं एलपीजी 6.100 किग्रा. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।